



Home First Finance Company India Limited
CIN: L65990MH2010PLC240703,
Website: homefirstindia.com
Phone No.: 180030008425 Email ID: loanfirst@homefirstindia.com

धारा 13(2) के तहत मांग सूचना
आप निम्नवर्णित कर्जदार ने तालिका में वर्णित सम्पत्ति बंधक रखकर ऋण प्राप्त किया है और आप निम्नवर्णित ऋण अनुबंध के संबंध में कर्जदार / सह–कर्जदार गारंटर हैं। आपके द्वारा की गई चुको के फलस्वरूप आपका ऋण खाता वित्तीय आसित्यों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (संक्षेपतः सरकारी ऐक्ट) के प्रावधानों के तहत दिनांक 05.04.2025 को अनाजक आसित की श्रेणी में सूचीबद्ध किया जा चुका है। हम, होम फर्स्ट फाइनेंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड ने सरकारी ऐक्ट की धारा 13(2) के साथ पठित धारा 13(13) के तहत मांग सूचना आपकी धारा प्रस्तुत पर जारी की थी। उक्त सूचनाएं 03.06.2025 को जारी की गई हैं और इन सूचनाओं में बयान किया गया है कि आपने आपको मंजूर किए गए विभिन्न ऋणों के भुगतान में चुक की है। अतएव, सूचना की तामील के लिए यह सूचना सरकारी ऐक्ट की धारा 13(2) के प्रावधान तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3(1) के प्रावधान के निबन्धनों में प्रकाशित की जा रही है :

क्र. सं.	खाता, कर्जदार(री), एवं गारंटर(री) का नाम और पता	प्रवर्तित की जाने वाली प्रतिभूति का विवरण	मांग सूचना की तिथि तक कुल बकाया राशि + आगे का ब्याज और अन्य खर्च (रु. में)
1.	स्वर्गीय प्रभाष चंद (मृतक), पूजा, स्वर्गीय प्रभाष चंद (मृतक) के अन्य कानूनी प्रतिनिधि	प्लॉट सं. 67 और 68, खसरा सं. 1614, कृष्ण विहार कॉलोनी, ग्राम सलेमपुर महबूद 2, परगना रुड़की, तहसील और जिला हरिद्वार, नगर निगम हरिद्वार के बाहर, हरिद्वार, उत्तराखंड, 249403 सीमाएं: पूर्व–प्लॉट सं. 67 का हिस्सा, पश्चिम–प्लॉट सं. 68 का हिस्सा, उत्तर – अन्य का मकान, दक्षिण–16' चौड़ा रास्ता	17,28,597

आपसे एतद्वारा होम फर्स्ट फाइनेंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड को उक्त बकाया राशि का भुगतान ब्याज और लागत के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिन की अवधि के भीतर करने की मांग की जाती है, जिसमें असफल रहने पर, होम फर्स्ट फाइनेंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत सभी अथवा किसी एक अथवा अधिक प्रतिभूतियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करेगी जिसमें कर्जदारी, बंधकदाताओं और गारंटरों की प्रतिभूत आसित्यों का कब्जा लिया जाना सम्मिलित है। होम फर्स्ट फाइनेंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड को उक्त अधिनियम के तहत उपलब्ध शक्तियों में निम्न सम्मिलित हैं: (1) कर्जदारों / गारंटरों की प्रतिभूत आसित्यों का कब्जा लेना, जिसमें प्रतिभूत आसित्यों के नकदीकरण हेतु उनको लीज, बिक्री हेतु समनुदेशन द्वारा हस्तांतरित करने का अधिकार सम्मिलित है (2) प्रतिभूत आसित का प्रबंधन अधिग्रहीत करना, जिसमें उनको लीज, बिक्री हेतु समनुदेशन द्वारा हस्तांतरित करने और प्रतिभूत आसित्यों के नकदीकरण का अधिकार सम्मिलित है और होम फर्स्ट फाइनेंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड द्वारा किए गए प्रतिभूतियों के हस्तांतरण में हस्तांतरित प्रतिभूत आसित्यों के संबंध में वे सभी अधिकार निहित होंगे, जो आपके द्वारा किए गए हस्तांतरण में निहित हो सकते थे।
उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के प्रावधानों के निबन्धनों में, आपको एतद्वारा उपरिसंदर्भित और होम फर्स्ट फाइनेंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड के पास दृष्टिबन्धक / बंधक किसी भी प्रतिभूति आसित का विक्री, लीज अथवा अन्य प्रकार से (आपके व्यवसाय की सामान्य प्रक्रिया को छोड़कर), होम फर्स्ट फाइनेंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड की पूर्व सहमति के बिना हस्तांतरित करने के संबंध में प्रतिबंधित किया जाता है।
स्थान : एनसीआर
तिथि : 07.06.2025



कोसमो फर्स्ट लिमिटेड
CIN: L92114DL1976PLC008355 फोन: 011-49449494 फैक्स: 011-49494950
ई-मेल: investor.relations@cosmofirst.com, वेबसाइट: www.cosmofirst.com

कंपनी के शेयरधारकों के लिए सूचना
विषय: अप्रदत्त /अवदाकृत लाभांश के बारे के लिए रिमाइंडर और आईईपीएफ प्राधिकारी को इक्विटी शेयरों का अंतरण

शेयरधारकों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि निवेशक शिक्षा एवं संस्था निधि प्राधिकरण (लेखाकरण, लेखापरीक्षा, अंतरण एवं वापसी) नियम, 2016 (आईईपीएफ नियम) और उसके अधीन अनुवर्ती संशोधन के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 124(6) के प्रावधानों के अनुसार में वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान घोषित लाभांश जो सात वर्षों की अवधि से अवदाकृत है, उसे 09 सितम्बर, 2025 को या उसके बाद आईईपीएफ के पास जमा किया जाएगा। संगत शेयर जिन पर निरंतर सात वर्षों की अवधि के लिए लाभांश अवदाकृत है, उन्हें भी नियमों के अनुसार निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए अंतरित किया जाएगा।

कंपनी ऐसे शेयरों को आईईपीएफ को अंतरित नहीं करेगी जहां ऐसे शेयरों के अंतरण पर किसी भी न्यायालय /अधिकरण ने रोक लगाने का विशेष आदेश दिया हो या जहां शेयर डिपॉजिटरीज अधिनियम, 1996 के अधीन रهن /बंधक हैं।

आईईपीएफ नियमों के अनुपालन में, कंपनी ने ऐसे सभी शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से सूचना भेज दी है और आईईपीएफ को अंतरित किये जाने वाले ऐसे शेयरों का विवरण हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। संबंधित शेयरधारक आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित किये जाने वाले अपने शेयरों के विवरणों के सत्यापन के लिए वेब–सितक <https://www.cosmofirst.com/investors/shareholders-information> को देख सकते हैं।

शेयरधारकों से अनुरोध है किया जाता है कि आईईपीएफ को ऐसे किसी अंतरण से पूर्व वित्तीय वर्ष 2017–18 एवं उससे आगे की अवधि के दौरान घोषित लाभांश का दावा कर लें।

संबंधित शेयरधारक जिनके शेयर मौलिक प्राकृष में धारित है और आईईपीएफ को अंतरित किये जाने के लिए योग्य है, कृपया नोट करें कि कंपनी आईईपीएफ को शेयरों के अंतरण के प्रयोजन हेतु उनके द्वारा धारित मूल शेयर प्रमाणपत्रों के बदले ड्युलीकैट शेयर प्रमाणपत्र जारी करेगी और ऐसे शेयरों के जारी होने पर कंपनी ड्युलीकैट शेयर प्रमाणपत्रों को डिमेट प्राकृष में बदलने और आईईपीएफ के पक्ष में अंतरण के लिए कॉर्पोरेट कार्यकालिका के माध्यम से डिपॉजिटरी को सूचित करेगी। मूल शेयरधारक जो मूल शेयरधारक के नाम पर पंजीकृत है, बाद में स्वतः ही निरस्तर हो जाएंगे और नै-रनिमियेज माने जाएंगे।

संबंधित शेयरधारक जिनके शेयर डिजिटिरलाइज्ड प्राकृष में है, कृपया नोट करें कि कंपनी आईईपीएफ के डिमेट खाते में शेयरों के अंतरण के लिए कॉर्पोरेट कार्यकलाप के माध्यम से डिपॉजिटरी को सूचित करेगी। शेयरधारक कृपया नोट करें कि अदाकृत लाभांश एवं शेयर एक बार आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित किये जाने के बाद आईईपीएफ नियमों (आईईपीएफ वेबसाइट <http://www.iepf.gov.in> देखें) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए आईईपीएफ प्राधिकरण के पास अपना दावा कर सकते हैं और इस संबंध में कंपनी के तस को कोई दावा नहीं किया जा सकेगा। यदि कंपनी को संबंधित शेयरधारकों से 31 अगस्त, 2025 तक या उसके पूर्व कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है जो कंपनी ऐसे शेयरों /लाभांश को आईईपीएफ प्राधिकरण के पास जमा कर देनी। कृपया ध्यान दें कि ऐसे शेयरों पर नविधय में र्चापजित सभी लाभ, लाभांश भी आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित कर दिये जाएंगे।

इस विषय में किसी भी पूछताछ के लिए आप investor.relations@cosmofirst.com पर ई–मेल भेज सकते हैं या कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एगेंट अलंकित एसाइडेंट्स लिमिटेड, 4ई /2, अलंकित हाउस, बड़ेबालान एक्स्टेशन, नई दिल्ली – 110055, ई–मेल: ria@alankit.com से सम्पर्क कर सकते हैं।

कृते कोसमो फर्स्ट लिमिटेड
हस्ता /—
ज्योति दीक्षित
कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 07 जून, 2025



मवाना शुगर्स लिमिटेड
सीआईएन : L74100DL1961PLC003413
पंजीकृत कार्यालय : 5वीं तल, जीईए जंक्शन, 19 एनडीए जंक्शन, नई दिल्ली- 110 125
दूरभाष : 91-11-25739103, फैक्स : 91-11-25743659
ईमेल : corporate@mawanasugars.com, वेबसाइट : www.mawanasugars.com

61वीं वार्षिक आम बैठक, रिकॉर्ड तिथि आई–वोटिंग
की सूचना प्रेषण समापन के संबंध में जानकारी
एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी की **61वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम)** **शनिवार, 28 जून, 2025 को सुबह 11:00 बजे (आईएसटी)** का एजीएम की सूचना में निर्धारित अनुसार, कारोबार करने के लिए ऑनलाइन कॉर्पोरेट पोर्टल (सीसी) / अन्य ऑनलाइन–विद्युतच मान्यता (ओएजीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी। कंपनी ने एजीएम की सूचना वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष) 2024–25 के लिए एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट के साथ 5 जून, 2025 को इलेक्ट्रॉनिक मॉड के माध्यम से उन सदस्यों को भेजी है, जिनके ई–मेल कंपनी या मेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल")/सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के साथ सामूहिक रूप से (डिपॉजिटरी) के साथ कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एनसीटी") के 19 सितंबर, 2024 के सामान्य परिचय संख्या 09/2024 को इस संबंध में जारी पत्रले के परिपत्रों और सेबी परिचय संख्या १९/एजी/सीएल/सीएफडी–नीआईडी–2/वी/सीआईआर/2024/133 दिनांक 3 अक्टूबर, 2024 के अनुसार जीक्यूकृत हैं।

इसके अलावा, सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) नियम, 2016 ("सेबी सूचीबद्धता दिशानिर्देश" के नियम 36(1)(डी)) के अनुसार, एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट का चयनने के लिए वेबसित और क्यूबिडर कोड प्रदान करने वाला एक पत्र उन सदस्यों को भेजा गया है जिन्होंने अपनी ई–मेल आईडी पंजीकृत नहीं की है।

समय–समय पर संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108, सेबी सूचीबद्धता दिशानियों के नियम 44 और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा सामान्य बैठकों पर जारी सचिवाय मानक (एसएच–2) के अनुपालन में, सदस्यों को एनएसडीएल द्वारा प्रदान की गई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली (ई–वोटिंग) का उपयोग करके एजीएम की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट दर्ज करने की सुविधा प्रदान की जाती है। सदस्यों के मतदान अधिकार 21 जून, 2025 ("एक्ट–ऑफ दिनांक") के अनुसार कंपनी की प्रस्ता समता अंश पूजी में उनके द्वारा धारित समता अंशों के अनुपात में होंगे।

कंपनी अपने सभी सदस्यों को सभी प्रस्तावों पर अपना वोट डालने के लिए रिमोट ई–वोटिंग सुविधा ("रिमोट ई–वोटिंग") प्रदान कर रही है, जो एजीएम की सूचना में निर्धारित है। सदस्यों के पास रिमोट ई–वोटिंग सुविधा का उपयोग करके किसी भी प्रस्ताव पर अपना वोट डालने या एजीएम के दौरान वोट करने का विकल्प है। एजीएम के दौरान रिमोट ई–वोटिंग /ई–वोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्रिया एजीएम की सूचना में प्रदान की गई है। रिमोट ई–वोटिंग अवधि **बुधवार, 26 जून, 2025 को सुबह 9:00 बजे (आईएसटी)** से शुरू होगी और **शुक्रवार, 27 जून, 2025 को शाम 6:00 बजे (आईएसटी)** समाप्त होगी। इसके बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई–वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले प्रस्तावों पर रिमोट ई–वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे बीसी/ओएजीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित हो सकते हैं/भाग ले सकते हैं, लेकिन उन्हें ऐसे प्रस्तावों पर फिर से अपना वोट डालने का अधिकार नहीं होगा।

भौतिक रूप से शेयर रखने वाला कोई भी व्यक्ति बैंक–केवाईडी पूरा होने के बाद यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। बैंक–केवाईडी पूरा करने के लिए, कृपया फॉर्म आईएसआर–1, आईएसआर2 (यदि हस्ताक्षर आर्टीफ/कंपनी रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते हैं) को आरटीए अनॉड भाग सर्विसेज लिमिटेड, टी–34, द्वितीय तल, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज–11, नई दिल्ली–110020 को भेजें।

व्यक्तिगत शेयरधारक जो डीमेटरियलाइज्ड मॉड में प्रतिभूतियां रखते हैं और जो कंपनी के शेयर प्राप्त करते हैं और सूचना भेज जाने के बाद कंपनी के सदस्य बनते हैं और क–ऑफ तिथि तक शेयर रखते हैं, वे एजीएम की सूचना में उल्लिखित वर्णों का पालन कर सकते हैं।

निदेशक मंडल ने ई–वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए मैसर्स निरम कान्हा एंड एसोसिएट्स (पीयर रिज्यू सर्टिफिकेट नंबर 2441 /2022), प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को स्कूटीनाइजर के रूप में नियुक्त किया है।

निदेशक मंडल ने 24 मई, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में, 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 10% यानी रु. 10/- प्रति इक्विटी शेयर के रु. 1/- की दर से अंतिम लाभांश की वित्तिार की है। यदि बैठक में लाभांश को मंजूरी मिल जाती है, तो इसका भुगतान घोषणा की तिथि से 30 दिनों की अवधि के भीतर एक सदस्यों को किया जाएगा, जिनके नाम एनएसडीएल/सीडीएसएल द्वारा उपलब्ध करार एवं उपलब्ध में शनिवार, 21 जून, 2025 (रिकॉर्ड तिथि) को कारोबारी समय की समाप्ति पर दिशाई देते हैं और उन मामलों को प्रभावी करने के बाद, 21 जून 2025 तक ट्रांसमिशन /ट्रांसमोजिशन के लिए आरटीए द्वारा प्राप्त हुए हैं, च्रोत पर कर कटौती के अधीन, जहां भी लागू हो। सेबी के 16/03/2023 के परिचय के अनुसार मौलिक मॉड में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को केवल इलेक्ट्रॉनिक मॉड में लाभांश का भुगतान किया जाएगा। इस प्रकार शेयरधारक को फिर से सलाह है कि वे सूचना में दिये गये अनुरोधानुसार अपने बैंक–केवाईडी और बैंक विवरण पंजीकृत करें।

किसी भी प्रश्न की स्थिति में, आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड अनुभाग में उपलब्ध शेयरधारकों के लिए प्राय: पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और शेयरधारकों के लिए ई–वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देख सकते हैं या 022 – 4886 7000 पर कॉल कर सकते हैं या evoting.nsdl.com पर (एलसी मैसेज) को एक अनुरोध भेज सकते हैं।

एजीएम की सूचना और एकीकृत वार्षिक रिपोर्ट 2024–25 कंपनी की वेबसाइट www.mawanasugars.com और स्टॉक एक्सचेंज जैसा बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.ncindia.com और नेशनल फिनोब्रोकेटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध है।



कृते मवाना शुगर्स लिमिटेड
हस्ता /—
(अशोक कुमार शुक्ला)
कंपनी सचिव

स्थान : गुरुग्राम
दिनांक : 6 जून, 2025



एचडीएफसी बैंक लिमिटेड
द्वितीय तल, शॉपर स्ट्रीट हाइपर मार्केट, लैंड मार्क कल्याणी ब्यू बस स्टैंड के पास, रुद्रपुर, उत्तराखंड, पिन– 263153

अधिसूचना (अवल संपत्ति हेतु)
जबकि, अधोहस्ताक्षरकों ने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित (द्वितीय) अध्यादेश, 2002 (2002 का अध्या. 3) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत एक मांग सूचना दिनांकित 26-03-2025 निर्गत की थी, जिसमें उधारकर्ता / गारंटर (1) **श्री अखिलेश चंद्र भास्करा पुत्र पुत्री रत्न भास्करा, निवासी– फ़ैसल कॉलोनी तल्ली हड़ानी नैनीताल– 263139, उत्तराखंड, भारत (न्यायकरी), (2) श्रीमती लता भास्करा अपनी श्री अखिलेश चंद्र भास्करा, निवासी– फ़ैसल कॉलोनी तल्ली हड़ानी नैनीताल– 263139, उत्तराखंड, भारत (सह-उधारकर्ता) को, सूचना में अंकित राशि, रु. 53,02,828.94/- (पचाे तिरपन लाख दो हजार नौ सौ अड़सठ आठ चौराने पैसे मात्र) के अंतरण के लिए** का उक्त सूचना की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।
उधारकर्ता निर्धारित राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्वारा उधारकर्ता तथा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकों ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का उक्त नियमावली के नियम 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उक्त प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, **06-06-2025 को अधिसूचना कर दिया है।**
उधारकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि ये संपत्ति का लेन–देन न करें और संपत्ति का कोई भी लेन–देन, रु. 53,02,828.94/- (पचाे तिरपन लाख दो हजार नौ सौ अड़सठ और चौराने पैसे मात्र) की एक राशि तथा राशि पर नियत ब्याज हेतु एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के प्रभारकीर्त होना।

अवल संपत्ति का विवरण

संपत्ति विवरण	संपत्ति का पता	प्रतेखों के अनुसार तथा साइट के अनुसार मापन तथा सीमा विवरण
आवासीय सह वाणिज्यिक	खसरा नं. 209थिएपर मि. 19 मि. का भाग जो ग्राम– हड़ानी तल्ली पंचायत का खाल तहसील– हड़ानी जिला– नैनीताल, पिन– 263139	पूर्व– 12 फिट चौड़ा रास्ता, पीछा– गल / विष्ट जी की मूमे, उत्तर– गल / दीनर रास्कों की मुमे, दक्षिण– हीरा राम की मूमे और अन्य / खोदवा की संपत्ति। क्षेत्रफल – 108 फिट या 10.03 वर्ग मीटर। भागन प्रतेखों के अनुसार – पूर्व– कॉलोनी रोड, पश्चिम– विष्ट जी का घर, उत्तर– यासीन का घर, दक्षिण– हीरा राम की मूमे। स्वामी का नाम – श्री अखिलेश चंद्र भास्करा

दिनांक : 06-06-2025, स्थान : बरेली
प्राधिकृत अधिकारी, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड



सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केन्द्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
शाखा कार्यालय: एलआरपीजी, साहिबबाद, गाजियाबाद, उप्र06-201005
कब्जा सूचना (अवल संपत्ति के लिए)
परिशिष्ट–IV (नियम-8(1)) देखें

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन (द्वितीय) अध्यादेश, 2002 (2002 का अध्यादेश 3) के तहत सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एलआरपीजी शाखा साहिबबाद, गाजियाबाद का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत उधारकर्ता: **श्री वीरेंद्र प्रसाद पुत्र श्री स्वर्गीय देव नाथ प्रसाद और सह-उधारकर्ता: श्रीमती चिता देवी पत्नी श्री वीरेंद्र प्रसाद** को मांग सूचना दिनांक 30.01.2025 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रु. **4,83,562.16 (रु. चार लाख तिरासी हजार पाँच सौ बासठ और पैसे सोलह मात्र)** उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था। उधारकर्ता राशि का प्रतिभुगतान करने में असफल हो गये है, इसलिए एतद्वारा उधारकर्ता तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमें नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित, उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक **04.06.2025** को ले लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता तथा जनसाधारण को एतद्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन–देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एलआरपीजी शाखा, साहिबाबाद, गाजियाबाद के प्रभार वास्ते बकाया राशि रु. **4,83,562.16 (रु. चार लाख तिरासी हजार पाँच सौ बासठ और पैसे सोलह मात्र)** और उस पर ब्याज इत्यादि सहित के अधीन होगा।

अवल संपत्ति का विवरण
सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जिसमें रिहायशी प्लैट नं. जीएफ–4, कवर्ड एरिया 200 गज आवासीय कॉलोनी एस.एफ. देव विहार जेकि प्लॉट नं. ए–48, पुरिया नंबर 1278, हदबस्त गांव लोन, उप डिवीजन और तहसील लोनी, जिला – गाजियाबाद यू.पी. में स्थित, वह सम्पत्ति श्री वीरेंद्र प्रसाद पुत्र श्री स्वर्गीय देव नाथ प्रसाद के नाम पर है, मूल बिक्री विलेख के अनुसार, श्री वीरेंद्र प्रसाद पुत्र श्री स्वर्गीय देव नाथ प्रसाद के पक्ष में, क्र.सं. 782, बही नं. 1, जिल्द नं. 19562, पेज नंबर 345–384 दिनांक 10/01/2012 के तहत
सीमाबन्ध:
संपत्ति का विवरण:
उत्तर: प्लॉट नं. ए–49 दक्षिण: प्लॉट नं. ए–47 पूर्व: प्लॉट नं. ए-57 पश्चिम: सड़क
स्थान: गाजियाबाद तिथि: 04/06/2025
प्राधिकृत अधिकारी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

अवल संपत्ति का विवरण
सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जिसमें रिहायशी प्लैट नं. जीएफ–4, कवर्ड एरिया 200 गज आवासीय कॉलोनी एस.एफ. देव विहार जेकि प्लॉट नं. ए–48, पुरिया नंबर 1278, हदबस्त गांव लोन, उप डिवीजन और तहसील लोनी, जिला – गाजियाबाद यू.पी. में स्थित, वह सम्पत्ति श्री वीरेंद्र प्रसाद पुत्र श्री स्वर्गीय देव नाथ प्रसाद के नाम पर है, मूल बिक्री विलेख के अनुसार, श्री वीरेंद्र प्रसाद पुत्र श्री स्वर्गीय देव नाथ प्रसाद के पक्ष में, क्र.सं. 782, बही नं. 1, जिल्द नं. 19562, पेज नंबर 345–384 दिनांक 10/01/2012 के तहत



Home First Finance Company India Limited
CIN: L65990MH2010PLC240703,
Website: homefirstindia.com Phone No.: 180030008425 Email ID: loanfirst@homefirstindia.com

परिशिष्ट–IV—ए (नियम 8(6) का परंतुक देखें)
अवल सम्पत्तियों के विक्रयार्थ विक्रय सूचना
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अवल परिसंपत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय सूचना।
एतद्वारा जनसाधारण को तथा विशेष रूप में कालम (ii) के अनुसार कर्जदार(री) तथा सह–कर्जदार(री) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदाता के पास बंधक /प्रभारित कालम (iii) के अनुसार निम्न विवरणित अवल सम्पत्तियां, जिनका होम फर्स्ट फाइनेंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यहां नीचे विवरणितानुसार अपनी बकाया राशिओं और ब्याज की वसूली करने के लिए मौलिक कब्जा कर लिया गया है, और चूँकि बकाया राशिओं का प्रतिभुगतान करने में उनकी विफलता के परिणामस्वरूप सह अधोहस्ताक्षरकर्ता उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति के प्रयोगांतर्गत उक्त संपत्ति/यों के विक्रय द्वारा बकाया राशिओं की वसूली करने का प्रस्ताव रखते हैं अतः इनका संपत्तियों का विक्रय यहां नीचे विवरणितानुसार "जैसी हैं जहां हैं", "जैसी हैं जो हैं" और "वहां जो कुछ भी हैं" आधार पर किया जाएगा। होम फर्स्ट फाइनेंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड को देय–भुगतये कालम (i) के अनुसार कर्जदार(री) तथा सह–कर्जदार(री) से बकाया राशि की वसूली के लिए नीलामी का संचालन "ऑनलाइन" होगा।



Home First Finance Company India Limited
CIN: L65990MH2010PLC240703,
Website: homefirstindia.com Phone No.: 180030008425 Email ID: loanfirst@homefirstindia.com

परिशिष्ट–IV—ए (नियम 8(6) का परंतुक देखें)
अवल सम्पत्तियों के विक्रयार्थ विक्रय सूचना
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अवल परिसंपत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय सूचना।
एतद्वारा जनसाधारण को तथा विशेष रूप में कालम (ii) के अनुसार कर्जदार(री) तथा सह–कर्जदार(री) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदाता के पास बंधक /प्रभारित कालम (iii) के अनुसार निम्न विवरणित अवल सम्पत्तियां, जिनका होम फर्स्ट फाइनेंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यहां नीचे विवरणितानुसार अपनी बकाया राशिओं और ब्याज की वसूली करने के लिए मौलिक कब्जा कर लिया गया है, और चूँकि बकाया राशिओं का प्रतिभुगतान करने में उनकी विफलता के परिणामस्वरूप सह अधोहस्ताक्षरकर्ता उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति के प्रयोगांतर्गत उक्त संपत्ति/यों के विक्रय द्वारा बकाया राशिओं की वसूली करने का प्रस्ताव रखते हैं अतः इनका संपत्तियों का विक्रय यहां नीचे विवरणितानुसार "जैसी हैं जहां हैं", "जैसी हैं जो हैं" और "वहां जो कुछ भी हैं" आधार पर किया जाएगा। होम फर्स्ट फाइनेंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड को देय–भुगतये कालम (i) के अनुसार कर्जदार(री) तथा सह–कर्जदार(री) से बकाया राशि की वसूली के लिए नीलामी का संचालन "ऑनलाइन" होगा।



Home First Finance Company India Limited
CIN: L65990MH2010PLC240703,
Website: homefirstindia.com Phone No.: 180030008425 Email ID: loanfirst@homefirstindia.com

परिशिष्ट–IV—ए (नियम 8(6) का परंतुक देखें)
अवल सम्पत्तियों के विक्रयार्थ विक्रय सूचना
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अवल परिसंपत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय सूचना।
एतद्वारा जनसाधारण को तथा विशेष रूप में कालम (ii) के अनुसार कर्जदार(री) तथा सह–कर्जदार(री) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदाता के पास बंधक /प्रभारित कालम (iii) के अनुसार निम्न विवरणित अवल सम्पत्तियां, जिनका होम फर्स्ट फाइनेंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यहां नीचे विवरणितानुसार अपनी बकाया राशिओं और ब्याज की वसूली करने के लिए मौलिक कब्जा कर लिया गया है, और चूँकि बकाया राशिओं का प्रतिभुगतान करने में उनकी विफलता के परिणामस्वरूप सह अधोहस्ताक्षरकर्ता उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति के प्रयोगांतर्गत उक्त संपत्ति/यों के विक्रय द्वारा बकाया राशिओं की वसूली करने का प्रस्ताव रखते हैं अतः इनका संपत्तियों का विक्रय यहां नीचे विवरणितानुसार "जैसी हैं जहां हैं", "जैसी हैं जो हैं" और "वहां जो कुछ भी हैं" आधार पर किया जाएगा। होम फर्स्ट फाइनेंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड को देय–भुगतये कालम (i) के अनुसार कर्जदार(री) तथा सह–कर्जदार(री) से बकाया राशि की वसूली के लिए नीलामी का संचालन "ऑनलाइन" होगा।



Home First Finance Company India Limited
CIN: L65990MH2010PLC240703,
Website: homefirstindia.com Phone No.: 180030008425 Email ID: loanfirst@homefirstindia.com

परिशिष्ट–IV—ए (नियम 8(6) का परंतुक देखें)
अवल सम्पत्तियों के विक्रयार्थ विक्रय सूचना
प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अवल परिसंपत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय सूचना।
एतद्वारा जनसाधारण को तथा विशेष रूप में कालम (ii) के अनुसार कर्जदार(री) तथा सह–कर्जदार(री) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदाता के पास बंधक /प्रभारित कालम (iii) के अनुसार निम्न विवरणित अवल सम्पत्तियां, जिनका होम फर्स्ट फाइनेंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यहां नीचे विवरणितानुसार अपनी बकाया राशिओं और ब्याज की वसूली करने के लिए मौलिक कब्जा कर लिया गया है, और चूँकि बकाया राशिओं का प्रतिभुगतान करने में उनकी विफलता के परिणामस्वरूप सह अधोहस्ताक्षरकर्ता उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति के प्रयोगांतर्गत उक्त संपत्ति/यों के विक्रय द्वारा बकाया राशिओं की वसूली करने का प्रस्ताव रखते हैं अतः इनका संपत्तियों का विक्रय यहां नीचे विवरणितानुसार "जैसी हैं जहां हैं", "जैसी हैं जो हैं" और "वहां जो कुछ भी हैं" आधार पर किया जाएगा। होम फर्स्ट फाइनेंस कम्पनी इंडिया लिमिटेड को देय–भुगतये कालम (i) के अनुसार कर्जदार(री) तथा सह–कर्जदार(री) से बकाया राशि की वसूली के लिए नीलामी का संचालन "ऑनलाइन" होगा।